रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 1982/आषाढ़ 28, 1904
No. 221] NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 1982/ASADHA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1982

सं० 205/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 503(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अंतर्गत आने वाले ईंधनहीन पंप को, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण —इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ईंधनहीन पंप" से वे जल पंप अभिप्रेत हैं, जो किसी ईंधन की सहायता बिना चलते हैं और जिसमें प्रयुक्त ऊर्जा केवल नदी, सरिता, नहर और नाले का जल प्रवाह है जो आवेजकों को टर्बाइन शैफ्ट मोड़ता है।

[फा० सं० 13/162/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-1]

आर० देब, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 1982

No. 205/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 503(E) - In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fuelless pump, falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon.

EXPLANATION : For the purposes of this notification, "fuelless pump" means a water pump which works with out any fueland the only energy used is the water flow of a river, stream, canal or 'nalla' which turns the impellers on the turbine shaft.

[F. No. 13/162/81-CX. 1]

R. DEB, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982